संख्या: 323/33-3-2009-100(34)/04 टी0सी

प्रेषक,

लाल बिहारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 11 अगस्त, 200

विषय: भारत सरकार की संशोधित गाइडलाइन्स के कम में शौचालयों के फंडिंग पै में संशोधन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या 762/33-3-06-100 (34)/200 दिनांक 13.06.2006 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई लाग रु0 1,900 में केन्द्रांश रु0 900, राज्यांश रु0 300, लाभार्थी अंश रु0 400 तथा ग्राम पंचाय द्वारा प्रोत्साहन धनराशि रु0 300 के फंडिंग पैटर्न की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्य W-11037/6/2005/CRSP दिनांक 10.09.2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 21.10.200 तथा आपके पत्र संख्या 5/1404/2008-5/28(बी)/2002 दिनांक 20.10.2008 के कम्र डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं के अतिरिक्त अन्य ग्राम सभाओं में व्यक्तिगत शौचालय निर्मा हेतु इकाई लागत रु0 2,600 निर्धारित करते हुए निम्नलिखित फंडिंग पैटर्न की स्वीकृ प्रदान की जाती है :-

केन्द्रांश	रू. 1500.00
राज्यांश	रू. 700.00
लाभार्थी अंश	रू. 400.00
योग	रू. 2600.00

यदि शौचालय पूर्ण करने में उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के अतिरिव धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसे लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

3. उक्त के अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स की इकाई लागत में केन्द्रां राज्यांश एवं ग्राम पंचायत के अंश के अनुपात को कमशः 60:20:20 के स्थान पर 60:30:1 संशोधित किया जाता है।

4. अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत वर्ष 2008-09 तथा आगामी वर्षों में उक्त फंडिंग पैटर्न के अनुसार शौचालयों निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्या 762/33-3-06-100 (34)/0 दिनांक 13.06.2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

5- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

232

भवदीय,

(लाल बिहारी)
विशेष सचिव

उप निदेशक (पंचा०)

निदेशक
12/8

12/8/09

संख्या : 323(1)/33-3-2009, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
अनु सचिव